आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 188/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, सी–25, भगवन्त दास रोड,

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सत्य प्रकाश सिंह पुत्र नन्द लाल सिंह,
2. सुनीता सिंह पत्नी सत्य प्रकाश सिंह,
3. मैसर्स कॉनस्कीम सॉल्यूशन्स जरिये प्रोपराईटर सत्य प्रकाश सिंह,

पता:– यूनिट नं. 5/128, 5/129, केसरीचंद चौधरी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर,
हाऊस 5/128, केसरीचन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड़, हीरापुरा, जयपुर
एवं मैसर्स कॉनस्कीम सॉल्यूशन, प्रो. सत्य प्रकाश सिंह, 202–204, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:– श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सत्य प्रकाश सिंह के स्वामित्त्व की संपत्ति 1. फ्लेट नं. 5/128, ग्राउण्ड फ्लोर, केसरीचन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 64.71 वर्गमीटर एवं 2. फ्लेट नं. 5/129, ग्राउण्ड फ्लोर, केसरीचन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 44.25 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 23.05.2019 को राशि 07,51,077/– रूपये, दिनांक 12.06.2019 को राशि 21,00,000/– रूपये, कुल राशि 28,51,077/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 28,61,077/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 28,78,676/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

पु०

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सत्य प्रकाश सिंह के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1.प्लॉट नं. 5/128, ग्राउण्ड फ्लोर, केसरीचन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 64.71 वर्गमीटर एवं 2. प्लॉट नं. 5/129, ग्राउण्ड फ्लोर, केसरीचन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 44.25 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.10.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner